माननीय एन सी जैन और एस. एस. सुधालकर, न्यायाधीश के समक्ष

बी.एस. गुरैया-याचिकाकर्ता
बनाम
भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 1993 का क्रमांक 4899.

1 मार्च, 1996.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227-सेना नियम, 1970-नियम 14 का प्रावधान-कारण बताओ नोटिस के बिना सेवा से बर्खास्तगी या कोर्ट मार्शल का आयोजन-कारण बताओ नोटिस से छूट देने के लिए कारण बताए गए-वैध नहीं-बर्खास्तगी का आदेश अलग कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि कारण बताओ नोटिस जारी करने की अयोग्यता जैसा कि प्रत्यर्थियों के वकील द्वारा तर्क दिया गया है और जैसा कि रिटर्न में कहा गया है कि सीबीआई ने जीओसी-इन-सी मुख्यालय पश्चिमी कमान से अनुरोध किया है कि संपत्ति की सूची अधिकारी को नहीं दिखाई जा सकती है क्योंकि जांच प्रगति पर थी और यह मामले के हित में नहीं होगा, हमारे विचार में इसके चेहरे पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ता के मूल अधिकार को छीन लेता है।

(पैरा 18)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह समझ में नहीं आया है और यहां तक कि यह भी नहीं बताया गया है कि आपराधिक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आरोप पत्र में शामिल किए गए या अंततः शामिल किए जाने वाले बयान, यदि कारण बताओ नोटिस में प्रकट किए जाते हैं, तो वे सीबीआई की जांच के लिए हानिकारक कैसे हो सकते हैं। हमें इस बारे में कुछ नहीं दिखाया गया है कि वे जांच के हित के लिए कैसे हानिकारक होते।

(पैरा 18)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 14 के परन्तुक (b) उप-नियम (1) को केवल पढ़ने से भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस देना समीचीन नहीं था या यह कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को कारण बताने का अवसर देना व्यवहार्य नहीं था।

(पैरा 18)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 220/227-सेना नियम, 1970-नियम 14 का प्रावधान-प्रावधान लागू करने के कारण न्यायसंगत हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह उस प्रकार का मामला है जहां यह सफलतापूर्वक नहीं रखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता बर्खास्तगी से पहले एक अवसर देने का हकदार नहीं था। केस कानून पर चर्चा करते समय यह देखा गया है कि प्रावधान लागू करने के कारण न्यायसंगत हैं।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता के वकील आर.एस. रंधावा।

एस. के. पिपट. प्रतिवादियों के वकील जोगिंदर शर्मा के साथ वरिष्ठ अतिरिक्त स्थायी वकील।

निर्णय

एस.एस. सुधालकर, न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता जो हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, चंडीमंदिर में कर्नल के रूप में कार्यरत था, उसे 17 अगस्त, 1990 को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद-27 जनवरी, 1993 के आदेश द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर

दिया गया था। बर्खास्तगी से पहले, कोई जांच नहीं की गई थी और उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। बेशक याचिकाकर्ता के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक आपराधिक मामले की जांच की जा रही थी। याचिकाकर्ता अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देता है और उच्च पद पर पदोन्नति की भी मांग करता है जो उसके अनुसार उसे मिलता अगर उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाता। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उपरोक्त तरीके से उनकी बर्खास्तगी कानून के खिलाफ है और किसी भी कारण बताओ नोटिस के अभाव में, वह अपने खिलाफ आरोपों का सामना करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। वह अपनी बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर चुनौती देता है कि यह दंडात्मक प्रकृति का है और कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद ही बर्खास्तगी दी जा सकती थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके खिलाफ मुकदमे की अव्यावहारिकता या अयोग्यता के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। याचिकाकर्ता आगे तर्क देता है कि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई अवसर नहीं था और उसकी निंदा की गई थी। याचिकाकर्ता आगे तर्क देता है कि क्योंकि उसे निलंबित कर दिया गया था, इसलिए उसे बहाल किए बिना सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता था।

(2) प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित बयान में याचिका में की गई दलीलों से इनकार किया है और तर्क दिया है कि कारण बताओ नोटिस की तामील की अयोग्यता के निष्कर्ष पर आने में केंद्र सरकार के साथ वजन करने वाले कारण मामले की फाइल में दर्ज किए गए हैं और इन्हें केवल अदालत द्वारा पढ़ा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उसकी जाँच करने का कोई अधिकार नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता बहुत गंभीर दुराचार के लिए दोषी था और सरकार की कार्रवाई उचित थी। लिखित बयान में यह भी कहा गया है कि सीबीआई ने जीओसी-इन-सी मुख्यालय पश्चिमी कमान से अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ता को संपत्तियों की सूची नहीं दिखाई जा सकती है क्योंकि जांच चल रही है और उसे यह दिखाना मामले के हित में नहीं होगा। यह तर्क दिया जाता है कि सीबीआई अधिकारियों के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी और एक अधिकारी और सज्जन के रूप में उनके चरित्र या आचरण पर संदेह किया गया था।

(3) यह तर्क दिया जाता है कि सेना अधिनियम की धारा 19 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सेना नियमों के नियम 14 (1) (बी) (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करना अनुचित पाया गया था और कारण बताओ नोटिस की सेवा की अयोग्यता के निष्कर्ष पर आने के कारण मामले की फाइल में दर्ज हैं। आगे यह तर्क दिया जाता है कि केंद्र सरकार संतुष्ट थी कि सेना नियम 14 के परंतुक (बी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक उपयुक्त मामला था। यह तर्क दिया जाता है कि कारण बताओ नोटिस अनिवार्य नहीं था और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए केंद्र सरकार की संतुष्टि पर छोड़ दिया जा सकता है कि किसी अधिकारी को कारण दिखाने का अवसर देना समीचीन या उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है और वर्तमान मामले में यह आवश्यकता पूरी तरह से पूरी हो गई है। प्रतिवादियों ने इस तर्क को भी चुनौती दी है कि निलंबन के तहत एक कर्मचारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

(4) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आर. एस. रंधावा और उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील श्री एस. के. पिपट को सुना है।

(5) हमें यह नहीं दिखाया गया है कि कर्मचारी के निलंबन के दौरान बर्खास्तगी कैसे नहीं हो सकती है। इस बिंदु पर कोई तर्क नहीं दिए गए हैं और इसलिए, यह तर्क नकार दिया गया है।

(6) पक्षकारों की ओर से विद्वत वकील की दलीलें सुनाने से पहले अधिनियम की धारा 19 और नियमों के नियम 14 को उद्धृत करना उचित होगा। प्रावधान इस प्रकार हैं: -

"19. केंद्र सरकार द्वारा सेवा समाप्ति इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन, केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटा सकती है।"

नियमों का नियम 14 इस प्रकार हैः -

"14. कदाचार के कारण केंद्र सरकार द्वारा सेवा की समाप्तिः
(1) जब कदाचार के कारण धारा 19 के अधीन किसी अधिकारी की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो उसे ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से कारण बताने का अवसर दिया जाएगाः

बशर्ते कि यह उप नियम लागू नहीं होगाः
(ए) जहां सेवा को आचरण के आधार पर समाप्त कर दिया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है; या
(बी) जहां केंद्र सरकार संतुष्ट है कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अधिकारी को कारण बताने का अवसर देना समीचीन या उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।

(2) जब किसी अधिकारी के कदाचार की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, केन्द्रीय सरकार या सेनाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि कोर्ट-मार्शल द्वारा अधिकारी का मुकदमा अव्यवहार्य या अव्यावहारिक है, लेकिन यह राय है कि सेवा में उक्त अधिकारी को आगे बनाए रखना अवांछनीय है, तो सेनाध्यक्ष अपने प्रतिकूल सभी रिपोर्टों के साथ अधिकारी को सूचित करेगा और उसे अपना स्पष्टीकरण और बचाव लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगाः
बशर्ते कि सेनाध्यक्ष ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके हिस्से का प्रकटीकरण करने से रोक सकता है, यदि उसकी राय में, इसका प्रकटीकरण राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।
सेनाध्यक्ष द्वारा अधिकारी के स्पष्टीकरण के असंतोषजनक होने की स्थिति में, या जब केंद्र सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है, तो मामला अधिकारी के बचाव और सेना प्रमुख की सिफारिश के साथ केंद्र सरकार को उप नियम (4) में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जहां किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को दोषी ठहराए जाने पर, केन्द्रीय सरकार या सेनाध्यक्ष यह समझता है कि उस अधिकारी का आचरण, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया है, सेवा में उसे और बनाए रखने को अवांछनीय बनाता है, वहां उसे दोषी ठहराने वाले आपराधिक न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति सेनाध्यक्ष की सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को उप-नियम(4) में निर्दिष्ट तरीके से अधिकारी की सेवा की समाप्ति के बारे में प्रस्तुत की जाएगी।

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार का मामला प्रस्तुत करते समय सेनाध्यक्ष अपनी सिफारिशें करेगा कि क्या अधिकारी की सेवा की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए, और यदि हां, तो क्या अधिकारी को
(ए) सेवा से बर्खास्त; या
(ख) सेवा से हटा दिया गया; या
(ग) सेवानिवृत्त होने के लिए बुलाया गया; या
(d) त्यागपत्र देने के लिए कहा गया

(5) केन्द्रीय सरकार रिपोर्टों और अधिकारी के बचाव, यदि कोई हो, या आपराधिक न्यायालय के निर्णय, जैसा भी मामला हो, और सेनाध्यक्ष की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, अधिकारी को पेंशन के साथ या उसके बिना बर्खास्त या हटा सकती है या उसे सेवानिवृत्त या इस्तीफा देने के लिए कह सकती है, और ऐसा करने से इनकार करने पर, अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या पेंशन या ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, पर सेवा से हटा दिया जा सकता है।"

(7) हमारे सामने स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम के तहत कोई कोर्ट मार्शल नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता को उसकी बर्खास्तगी से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता बर्खास्तगी की तारीख को निलंबन के अधीन था। यह भी स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच चल रही थी और अब चालान भी आपराधिक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

(8) हमारे द्वारा दलीलें सुनने और निर्णय सुरक्षित रखने के बाद, सिविल विविध आवेदन संख्या 1995 का 11825 प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र को संलग्न करते हुए दायर किया गया है। हमारे द्वारा आवेदन की अनुमति दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र को अभिलेख पर अनुलग्नक पी-7 और पी-8 के रूप में पढ़ा जाएगा।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आर.एस. रंधावा ने तर्क दिया है कि यह प्रश्न न्यायसंगत है कि किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कारण बताओ का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह कानूनी रूप से नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता को अवसर देने का अधिकार नहीं था या याचिकाकर्ता को कारण दिखाने का अवसर देना अनुचित या यथोचित रूप से अव्यवहारिक था कि उसे सेवा से क्यों बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए।

(10) यदि नियम 14 (1) को परंतुक के बिना पढ़ा जाता है, तो कर्मचारी को उप नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से कारण दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यदि उपरोक्त नियम को परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, तो नियम 14 के उप नियम (1) के परंतुक (बी) के अनुसार कारण दिखाने के अवसर को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियम 14 के उप-नियम (1) के परन्तुक (बी) को लागू करके स्वीकार किया गया है और इसलिए, हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या इस प्रावधान का आह्वान उचित था या नहीं और यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आह्वान उचित था तो यह याचिका विफल हो जाती है और यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस परन्तुक का आह्वान उचित नहीं था, तो याचिका अनुमति देने योग्य है। इस स्तर पर हम इस सवाल से चिंतित नहीं हैं कि क्या कोर्ट-मार्शल का मुकदमा अव्यवहारिक या अव्यवहारिक है क्योंकि सबसे पहले उत्तरदाताओं ने नियम 14 के उप-नियम (1) के प्रावधान (बी) को लागू किया है और दूसरा, सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है और आपराधिक अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है।

(11) श्री रंधावा, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1) के मामले का हवाला दिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेश का समर्थन करने वालों पर यह दर्शाना अनिवार्य है कि संतुष्टि कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है और यह संबंधित अधिकारी की सनक का परिणाम नहीं है।

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे सामने हरभजन सिंह बनाम रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य (2) के मामले का भी हवाला दिया है । उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि कोर्ट-मार्शल के आयोजन को समाप्त करने का विवेकाधिकार न्यायसंगत है ।

(1) ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 385.
(2) 1982 (2) एस.एल.आर. 782.

(13) श्री रंधावा ने हमारे सामने पूर्व मेजर एन.आर. अजवानी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (3) के मामले का हवाला दिया है। उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की विद्वत पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 311 की अप्रयोज्यता के बावजूद, सेना अधिनियम की धारा 18 और 19 में किए गए दोहरे प्रावधानों को देखते हुए छलावरण की अवधारणा और पर्दा उठाने का सिद्धांत अभी भी लागू होगा।

(14) उत्तर में भारत संघ के विद्वान वकील श्री पिपट ने हमारे समक्ष सेनाध्यक्ष एवं अन्य बनाम मेजर धर्मपाल कुकरेती (4) के मामले का हवाला दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट मार्शल द्वारा नए सिरे से विचारण का आदेश देना अव्यवहारिक होगा और यह सेनाध्यक्ष के लिए नियम 14 के तहत कार्रवाई करने के लिए खुला था, इस तथ्य के बावजूद कि अधिकारी पर पहले कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया था और उसे बरी कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय का एक अन्य निर्णय जिसका श्री पीपत ने उल्लेख किया है, लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी पाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ (5) का मामला है। उन्होंने हेडनोट (एफ) पर भरोसा किया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमे के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा पूर्व जांच अनिवार्य नहीं है। ये दोनों मामले उत्तरदाताओं की मदद नहीं करते हैं क्योंकि, हमारे निर्णय के लिए प्रश्न एक संकीर्ण है अर्थात् क्या नियमों के नियम 14 के तहत परिकल्पित कारण दिखाने का अवसर देना समीचीन या उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। हम वर्तमान में कोर्ट-मार्शल द्वारा परीक्षण की अयोग्यता के प्रश्न से चिंतित नहीं हैं, जैसा कि नियमों के उप-नियम 2 में परिकल्पित है।

(15) श्री पीपत ने हमारे समक्ष आर. विश्वन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (6) के मामले का भी हवाला दिया है जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम की धारा 21 के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों से संबंधित है। अधिनियम की धारा 21 में अधिकारों को सीमित करने वाले नियम बनाने का प्रावधान हैः -
(i) ट्रेड यूनियन या श्रमिक संघ आदि का सदस्य होना या किसी भी तरह से संबद्ध होना;
(ii) किसी भी बैठक में भाग लेना या संबोधित करना आदि; और
(iii) प्रेस के साथ संवाद करना या किसी पुस्तक को प्रकाशित करना या प्रकाशित कराना आदि।

अतः आर. विश्वन और अन्य (उपर्युक्त) का मामला पूरी तरह से अलग बिंदु पर था और जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(16) श्री पीपत द्वारा उद्धृत अगला निर्णय भगत राम बनाम भारत संघ और अन्य(7)का है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति आदि का प्रश्न था। उस मामले में प्रतिकूल रिपोर्टों पर विचार किया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बीएसएफ का अधिकारी प्राकृतिक सिद्धांतों को भी लागू करने का हकदार नहीं थाः स्वामी और सेवक के सामान्य कानून के तहत न्याय। इस मामले में

(3) 1994 (5) एस.एल.आर. 692.

(4) 1985 (1) एस.एल.आर. 658.

(5) ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 1413.

(6) ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 658.

(7) 1981 (3) एस.एल.आर. 686.

विद्वान एकल न्यायाधीश ने लेख राज खुराना बनाम भारत संघ (8) के मामले में निर्धारित सिद्धांत पर निर्भरता रखी थी। उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस मामले में अपीलकर्ता जो एक नागरिक पद पर था जो रक्षा से जुड़ा था और जिसे रक्षा अनुमानों से वेतन का भुगतान किया गया था, पूरी तरह से जुगतराय माहिनचंद अजवानी बनाम भारत संघ *(1965* का सी. ए. *1185)* के मामले में निर्णय द्वारा कवर किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सैन्य सेवा में एक इंजीनियर जो रक्षा अनुमानों से अपना वेतन ले रहा था, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता था। हालाँकि, उस मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण कि नियम न्यायसंगत नहीं थे, कायम नहीं रखा जा सकता है और यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि सेवा की शर्तों के संबंध में वैधानिक नियम का भंग सरकारी कर्मचारी को निवारण के लिए न्यायालय का सहारा लेने का अधिकार देगा।यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में, अधिनियम और नियमों के तहत प्रावधान किए गए हैं और निर्णय लिया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या कारण बताने की सूचना देने के प्रावधानों का उचित रूप से पालन किया जाता है या नहीं और इसलिए, सेनाध्यक्ष और अन्य (उपरोक्त) सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए, रिट दायर की जा सकती है यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है या गलत तरीके से पालन किया जाता है।

(17) श्री पीपत ने हमारे सामने जय भारत शीत भंडारण और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (9) के मामले का भी हवाला दिया है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक मामला था और वर्तमान मामले को तय करने के लिए उक्त मामले पर विचार करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। किसी भी प्रावधान के अधिकार से बाहर होने का सवाल हमारे सामने निर्णय के लिए नहीं है जैसा कि याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहतों से देखा जा सकता है। इसके अलावा यह श्री पीपत द्वारा हमारे समक्ष उद्धृत एक अन्य मामले से पाया जा सकता है जो कि भारत संघ बनाम एस. के. राव (10) है, कि नियमों के नियम 14 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार से बाहर नहीं माना गया है।

(18) पक्षकारों के वकीलों के तर्कों पर विचारपूर्वक विचार करने और बार में उद्धृत विभिन्न निर्णयों को देखने के बाद, हमारा विचार है कि वर्तमान इस प्रकार का मामला है जहां यह सफलतापूर्वक बनाए नहीं रखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता निर्णय से पहले अवसर देने का हकदार नहीं था। मामला कानून पर चर्चा करते समय यह देखा गया है कि परंतुक लागू करने के कारण न्यायोचित हैं। कारण बताओ नोटिस जारी करने की अयोग्यता जैसा कि प्रतिवादियों के वकील द्वारा तर्क दिया गया है और जैसा कि रिटर्न में कहा गया है कि सीबीआई ने जीओसी-इन-सीएचक्यू पश्चिमी कमान से अनुरोध किया है कि संपत्ति की सूची अधिकारी को नहीं दिखाई जा सकती है क्योंकि जांच चल रही थी और यह मामले के हित में नहीं होगा, हमारे विचार में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ता के मूल अधिकार को छीन लेता है। यदि याचिकाकर्ता ने भारत सरकार या सीबीआई के साथ सूची में उल्लिखित संपत्तियों का अधिग्रहण किया था, तो बेईमानी से, वह अच्छी तरह से समझा सकता था कि अगर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो उसने ऐसी संपत्ति कैसे हासिल की। अनुलग्नक आर 4/1 में जैसा कि हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में अंतर्विष्ट अनुरोध केवल इसलिए कारण

(8) ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 2111.

(9) ए.आई.आर. 1980 पंजाब और हरियाणा 52.

(10) ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1137.

बताओ नोटिस जारी करने से विरत करने का कोई आधार नहीं हो सकता है कि मामला अन्वेषण के अंतिम चरण में था और याचिकाकर्ता की संपत्ति से ही पता चला कि वे 80 लाख रुपये की आय के ज्ञात स्रोतों से असमानुपाती थीं। इस तथ्य का उल्लेख करना कि संपत्ति की सूची औपचारिक रूप से याचिकाकर्ता को किसी कारण बताओ नोटिस में या याचिकाकर्ता के साथ किसी अन्य संचार में नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि मामला जांच के अधीन था और यह मामले के हित में नहीं होगा, हमारे विचार में, याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर देने के लिए कानूनी रूप से असमर्थनीय है। यह समझ में नहीं आया है और यहां तक कि यह भी नहीं बताया गया है कि आपराधिक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आरोप पत्र में जो बयान शामिल किए गए थे या अंततः शामिल किए जाने वाले थे, यदि कारण बताओ नोटिस में खुलासा किया जाता, तो वे सीबीआई की जांच के लिए हानिकारक हो सकते थे। आरोप पत्र में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गुप्त नहीं रखा जा सकता था। हमें इस बारे में कुछ नहीं दिखाया गया है कि वे जांच के हित के लिए कैसे हानिकारक होते। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, नियम 14 के परन्तुक (ख) उप नियम (1) के सादे पठन से भी, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस देना समीचीन नहीं था या यह कि याचिकाकर्ता को कारण दिखाने का अवसर देना उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में व्यवहार्य नहीं था।

(19) एक बार जब याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जाने वाला था, तो यह समझ में नहीं आता कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस देने से सीबीआई के मामले को कैसे नुकसान होता। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सी. बी. आई. द्वारा आई. पी. संलग्नक आर. 4/1 में इस आशय का संचार किया गया है कि मामला जांच के अंतिम चरण में था और याचिकाकर्ता के सत्यापित सहायकों ने आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से रू. 80 लाख और यह कि परिसंपत्तियों की सूची औपचारिक रूप से किसी भी कारण बताए जाने के नोटिस में या याचिकाकर्ता के साथ किसी अन्य संचार में अभियुक्त को नहीं दिखाई जा सकती है क्योंकि मामला अभी भी जांच के दायरे में था और आगे यह कि ऐसा कोई संचार मामले के हित में नहीं होगा, उत्तरदाताओं द्वारा मामले के हित को गलत समझा गया है, जबकि उन्हें बर्खास्त करने से पहले कारण बताएँ नोटिस नहीं देने का निर्णय लिया गया है। किसी भी मामले में सी. बी. आई. ने जी. ओ. सी.-इन-सी. एच. क्यू. पश्चिमी कमान, चंडीगढ़ से कुछ चीजें नहीं करने का अनुरोध किया जैसा कि ऊपर बताया गया है क्योंकि मामले की जांच अभी भी चल रही थी। सीबीआई का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि याचिकाकर्ता को प्रस्तावित कार्रवाई से पहले कभी भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर यह एक क्षण के लिए भी माना जाता है कि राज्य को 22 जुलाई, 1992 को अनुलग्नक आर 4/1 के मद्देनजर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था, जब सीबीआई द्वारा अनुलग्नक आर 4/1 लिखा गया था, तो उत्तरदाताओं को जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता था। जी. ओ. सी.-इन-सी. एच. क्यू. पश्चिमी कमान सी. बी. आई., चंडीगढ़ के पुलिस अधीक्षक को जांच को तेजी से पूरा करने के लिए लिख सकती थी, ताकि वे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकें। इन सभी कारणों से, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को अवसर दिए बिना बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

(20) पदोन्नति को प्रभावी बनाने के सवाल पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने से याचिकाकर्ता को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वतः बहाली नहीं मिलती है कि जब बर्खास्तगी आदेश पारित किया गया था तो वह पहले से ही निलंबन में था। यह विवाद में नहीं है कि निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। इसलिए, हम इस स्तर पर याचिकाकर्ता की

पदोन्नति के प्रश्न पर विचार नहीं करते हैं और यह तय करने के लिए खुला रखते हैं कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में अंतिम परिणाम के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता है।

(21) परिणाम में रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने का आदेश, संलग्नक पी-6 और याचिकाकर्ता को आदेश बताने वाला परिणामी पत्र संलग्नक पी-4 को रद्द कर दिया जाता है। बाकी प्रार्थनाएँ अस्वीकार कर दी जाती हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा